आर. गांधी

बनाम

भारत संघ एवं एक अन्य

अगस्त 23, 1999

[के. वेंकटस्वामी और

सैयद शाह मोहम्मद कादरी, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानूनः

पेंशन—का रूपांतरण—15 वर्ष के पश्चात रूपांतरण पेंशन की पर पुनर्बहाली—की गणना—सर्वोच्च न्यायालय के कॉमन कॉज़ वाद में दिए गए निर्णय—"सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर" पेंशन की पुनर्बहाली—कार्यालय ज्ञापन (सं. 34/2/86-पी और पीडब्ल्यू (जी) दिनांक 22.08.1990)—जिसमें "पेंशन के रूपांतरण की तिथि से 15 वर्ष की अवधि" की गणना का प्रावधान किया गया—उसकी वैधता—अभिनिर्धारित, कॉमन कॉज़ वाद के निर्णय को बाद के सभी निर्णयों में सही रूप से "पेंशन के रूपांतरण की तिथि से 15 वर्ष की अवधि" के रूप में समझा गया है—दिनांक 22.08.1990 का कार्यालय ज्ञापन कॉमन कॉज़ वाद के निर्णय के प्रतिकूल नहीं है।

निर्णय—की व्याख्या—अभिनिर्धारित, न्यायालय के निर्णय में शब्दों की व्याख्या कानून में शब्दों के रूप में नहीं की जा सकती है।

एक कार्यालय ज्ञापन संख्या 34/2/86-पी एंड पीडब्लू (जी) दिनांक 22.8.1990 द्वारा **भारत सरकार ने अपने पहले के ज्ञापन में यह प्रावधान करते हुए संशोधन किया कि रूपांतरण पेंशन की बहाली के लिए 15 साल की अवधि "सेवानिवृत्ति की तारीख से" के बजाय "पेंशन के रूपांतरण की तारीख से" होगी। अपीलार्थी ने उक्त कार्यालय ज्ञापन को इस आधार पर चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की कि यह कॉमन कॉज़ वाद में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत था।* उत्तरदाता-भारत संघ ने एक प्रति शपथ पत्र**

दायर किया जिसमें कहा गया कि कॉमन कॉज़ वाद में जारी किए गए निर्देशों को इस न्यायालय द्वारा कल्याण संघ के वाद में स्पष्ट किया गया था * * — "पेंशन के रूपांतरण की तारीख से 15 साल की अवधि की गणना की जाए"। नतीजतन, सरकार ने अपने पूर्व कार्यालय ज्ञापन को संशोधित किया और दिनांक 22.8.1990 के कार्यालय ज्ञापन को लागू किया। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील की गई।

अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया कि एक बार सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया कि रूपांतरण पेंशन सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 साल की अवधि के लिए वसूल की जाएगी और जब उक्त विषयवस्तु इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के रूप में परिणत हो चुकी थी, तब वे एकपक्षीय रूप से उसमें रूपांतरण कर 15 वर्ष की अवधि की परिगणना पेंशन के समाशोधन की तिथि से करें।

उत्तरदाता-सरकार की ओर से ने यह तर्क दिया कि 15 वर्ष की अवधि इस आधार पर निर्धारित की जाती है कि रूपांतरण पेंशन की वसूली सामान्य रूप से उक्त अवधि के भीतर की जाएगी; जब पेंशन का समानीकरण और सेवानिवृत्ति की तारीख एक साथ होगी, तो कोई कठिनाई पैदा नहीं होगी, लेकिन यदि पेंशन को सेवानिवृत्ति की तारीख के लंबे समय बाद कम किया जाता है, तो सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष की अवधि में कटौती की जाएगी और परिणामस्वरूप पेंशनभोगियों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुचित और अनपेक्षित लाभ मिलेगा।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने,

अभिनिर्धारित 1.1 सरकार द्वारा जारी किए गए दिनांक 22.8.1990 के ज्ञापन में कॉमन कॉज़ वाद में इस न्यायालय के फैसले के विपरीत कोई शर्त शामिल नहीं है। अतः उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को खारिज किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत था। [666-एच]

1.2 .कॉमन कॉज़ वाद में निर्णय को इस न्यायालय के बाद के सभी फैसलों में "रूपांतरण की तारीख से 15 साल" के रूप में सही ढंग से समझा गया है। इस न्यायालय ने कॉमन कॉज़ वाद में सरकार की मनमाने ढंग से की गई कार्रवाई को खारिज करते हुए सरकार को 15 साल के बाद "सेवानिवृत्ति की अवधि से" उन पेंशनभोगियों को पूर्ण पेंशन बहाल करने का निर्देश दिया, जिन्होंने पेंशन का 1/3 हिस्सा कम किया था। न्यायालय के निर्णय में शब्दों की व्याख्या क़ानून में शब्दों के रूप में नहीं की जा सकती है। उक्त निर्देश द्वारा, इस न्यायालय का कभी भी पेंशनभोगियों को कोई अनुचित या अनपेक्षित लाभ देने का इरादा नहीं था। इसने केवल पेंशन के हिस्से के रूपांतरण के परिणामस्वरूप पेंशन की कटौती के संबंध में सरकार के हाथों पेंशनभोगियों के साथ व्यवहार में निष्पक्षता सुनिश्चित की। कल्याण संघ के वाद में यह न्यायालय ने कहा कि पेंशन के रूपांतरण के लिए 15 साल की अवधि की गणना पेंशन के रूपांतरण की तारीख से की जाएगी। कॉमन कॉज़ वाद में फैसले को न तो संशोधित किया गया और न ही स्पष्ट किया गया। कल्याण संघ के वाद में इस न्यायालय ने कॉमन कॉज़ वाद में "सेवानिवृत्ति की अवधि से 15 साल की समाप्ति पर" शब्दों को केवल "रूपांतरण की तारीख से 15 साल" के रूप में समझा।[666-ई, एफ, जी]

* *कॉमन कॉज़* **बनाम** *भारत संघ,* **[1987] 1 एस.सी.सी. 142 और * *** *कल्याण संघ पब्लिक एंटरप्राइज़ में समाहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों बनाम भारत संघ और अन्य,* **[1991] 2 एस.सी.सी. 265 ने समझाया और दोहराया।**

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्व-कर्मचारी संघ और अन्य **बनाम** *भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड बॉम्बे एंड अन्य के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक,* **[1993] 3 स्केल 424 और** *सार्वजनिक उद्यमों और अन्य में अवशोषित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का कल्याण संघ* **बनाम** भारत संघ और एक *अन्य* **एआईआर (1996) एस.सी. 1201, संदर्भित।**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1999 की दीवानी अपील सं. 4667।

1996 की रिट याचिका सं. 12381 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 22.1.98 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थी के लिए आर. वेंकटरमन, वी. प्रभाकर, सुश्री पल्लवी चौधरी और सुश्री राधा रंगास्वामी।

उत्तरदाताओं के लिए ए. एस. नाम्बियार, वाई. पी. महाजन और पी. परमेश्वरन।

न्यायालय का निर्णय द्वारा दिया गया था।

सैयद शाह मोहम्मद कादरी, न्यायमूर्ति। अनुमति प्रदान की जाती है।

यह अपील, *कॉमन कॉज बनाम भारत संघ,* [1987] 1 एस.सी.सी. 142, में इस न्यायालय के फैसले का एक उपशाखा है, 22 जनवरी, 1998 को 1996 की रिट याचिका सं. 12381 में मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के निर्णय और आदेश से उत्पन्न होता है।

अपीलार्थी, जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता और मद्रास उच्च न्यायालय बार के सदस्य हैं, ने मद्रास उच्च न्यायालय में 1996 की रिट याचिका संख्या 12381, एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 22 अगस्त, 1990 को जारी ज्ञापन सं.34/2/86-पी & पीडब्ल्यू (जी) को चुनौती दी गई और 26 सितंबर, 1990 का पत्र भी, जिसमें न्याय विभाग को उपरोक्त ज्ञापन लागू किया गया है, और यह घोषणा करने की मांग की गई है कि यह उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू नहीं होता है।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के वाद का सार यह था कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किया था कि एक सरकारी कर्मचारी की पेंशन के एक हिस्से के रूपांतरण के कारण कम की गई पेंशन का भुगतान केवल "सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 साल की अवधि के लिए" होना चाहिए, लेकिन भारत संघ ने इसे "पेंशन के रूपांतरण की तारीख से" में बदलकर आक्षेपित ज्ञापन जारी किया। भारत संघ ने अपने प्रति शपथ पत्र में कहा कि

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने बाद के फैसले में *कॉमन कॉज़* (उपरोक्त) में दिए गए निर्देश को स्पष्ट किया कि 15 साल की अवधि की गणना रूपांतरण की तारीख से की जाए, न कि सेवानिवृत्ति की तारीख से। इस न्यायालय के बाद के फैसले के अनुसार, भारत सरकार ने 5 मार्च, 1987 के अपने पहले के ज्ञापन सं.34/2/86-पी & पीडब्ल्यू को संशोधित किया और आक्षेपित ज्ञापन को लागू किया।

मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने इस न्यायालय के विभिन्न फैसलों पर ध्यान देते हुए 22 जनवरी, 1998 के आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया। उस फैसले के खिलाफ है, इस अपील को प्राथमिकता दी जाती है।

श्री आर. वेंकटरमन, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, ने दृढ़ता से तर्क दिया कि एक बार जब भारत सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया कि रूपांतरण पेंशन की वसूली सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 साल की अवधि के लिए की जाएगी और यह इस न्यायालय के निर्देश में समाप्त हो गया था, तो वे पेंशन के हस्तांतरण की तारीख से 15 साल की अवधि की गणना करने के लिए इसे एकतरफा रूप से नहीं बदल सकते थे। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि पेंशन नियमों के तहत, एक पेंशनभोगी सेवानिवृत्ति की तारीख के केवल एक वर्ष के भीतर अपनी पेंशन का एक हिस्सा रूपांतरण कर सकता है, इसलिए, सरकार का रुख है कि जिन लोगों ने 15 वर्ष पूरे होने के कगार पर ही आवेदन किया और अपनी पेंशन रूपांतरण कराई, वे बिना किसी आधार के कटौती के कुछ महीनों के बाद अपनी पूरी पेंशन का दावा कर सकेंगे।

श्री ए. एस. नाम्बियार, उत्तरदाताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता, ने तर्क दिया है कि 15 साल की अवधि इस आधार पर तय की जाती है कि रूपांतरण पेंशन आम तौर पर उक्त अवधि के भीतर वसूल की जाएगी; जब पेंशन का समानीकरण और सेवानिवृत्ति की तारीख एक साथ होने से कोई कठिनाई पैदा नहीं होगी, लेकिन यदि पेंशन को सेवानिवृत्ति की तारीख के लंबे समय बाद रूपांतरण किया जाता है, तो 15 साल की अवधि में कटौती की

जाएगी।सेवानिवृत्ति और इसके परिणामस्वरूप पेंशनभोगियों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुचित और अनपेक्षित लाभ मिलेगा।

कॉमन कॉज़ (उपरोक्त) के वाद में, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका में इस न्यायालय के समक्ष यह प्रतिनिधित्व किया गया था कि पेंशन को कम करने पर सरकार द्वारा पेंशनभोगी को एकमुश्त राशि में भुगतान की गई राशि 12 साल की अवधि के भीतर उसकी पेंशन से वसूल की जाएगी, इसलिए, सरकार के लिए पेंशनभोगी के शेष जीवन के लिए कम पेंशन का भुगतान करने का कोई औचित्य नहीं था। इस न्यायालय ने इच्छा व्यक्त की कि सरकार केंद्रीय दीवानी सेवा (पेंशन का परिवर्धन) नियम, 1981 को लागू करने पर एक नया रूप दे सकती है। सरकार ने इस मामले में निर्णय लिया और विद्वान महान्यायवादी के माध्यम से निम्नलिखित शब्दों में अवगत कराया :

"(i) पेंशन के रूपांतरण मूल्य के एवज में देय मासिक पेंशन से की जाने वाली वसूली, सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अथवा पेंशनभोगी के 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, जो भी बाद में हो, समाप्त हो जाएगी।

(ii) यह व्यवस्था उन सभी असैनिक पेंशनभोगियों पर लागू होगी जिनकी अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है, तथा सशस्त्र बलों के उन कार्मिकों पर भी लागू होगी जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु उनके पद के लिए निर्धारित रंगीन सेवा की अवधि के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है और जो 37/38 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।

(iii) सरकार ने यह निर्णय पेंशनभोगियों के प्रति सद्भावना के भाव से तथा उनके जीवन की संध्या बेला में उन्हें कुछ राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया है। यह ईमानदारीपूर्वक विश्वास किया जाता है कि इस विषय पर अब कोई और

मांग नहीं उठाई जाएगी तथा पेंशनभोगी सरकार के इस निर्णय को बिना किसी असहमति या आपत्ति के स्वीकार करेंगे।

(iv) यह निर्णय संभावित रूप से (1 अप्रैल, 1986 से) प्रभावी होगा।"

जहाँ तक प्रथम बिंदु का संबंध है, इस न्यायालय ने रूपांतरण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगी को पूर्ण पेंशन की पुनर्बहाली के लिए उसकी आयु का उल्लेख करना आवश्यक नहीं समझा। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एकमुश्त प्राप्त राशि से ब्याज आदि का लाभ प्राप्त हो सकता है तथा उसमें जोखिम का भी एक तत्व निहित रहता है, न्यायालय ने अपने दिनांक 09 दिसम्बर, 1986 के निर्णय द्वारा यह निर्देश दिया कि "सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर" पूर्ण पेंशन पुनः बहाल कर दी जानी चाहिए। उक्त निर्णय के अनुपालन में सरकार ने दिनांक 05 मार्च, 1987 का ज्ञापन जारी किया।

सार्वजनिक उद्यमों में अवशोषित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के कल्याण संघ बनाम भारत संघ और अन्य, [1991] 2 एस.सी.सी. 265, इस न्यायालय के समक्ष यह सवाल उठाया गया कि क्या केंद्र सरकार के कर्मचारी, जिन्होंने *कॉमन कॉज* (उपरोक्त) में फैसले का लाभ उठाया था और बाद में सार्वजनिक उद्यमों में शामिल हो गए थे, सार्वजनिक उद्यमों से सेवानिवृत्ति पर फिर से उस फैसले के लाभ के हकदार थे। उनके दावे को नकारते हुए, यह देखा गया कि *"इस न्यायालय ने निर्णय में उल्लिखित कारणों के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया कि पेंशन के समाशोधन की तिथि से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर संपूर्ण पेंशन पुनः बहाल हो जाती है।"* इस अवलोकन से यह देखा जा सकता है कि *कॉमन कॉज़* (उपरोक्त) में निर्णय को न तो संशोधित किया गया था और न ही स्पष्ट किया गया था। जो कुछ भी अनुमान लगाया जा सकता है वह यह है कि *कल्याण संघ के* वाद (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने *कॉमन कॉज़* (उपरोक्त) में "सेवानिवृत्ति की अवधि से 15 साल की समाप्ति पर" शब्दों को "रूपांतरण की तारीख से 15 साल...." के रूप में समझा। *कल्याण संघ* वाद

(उपरोक्त) में एक फैसला 12 अप्रैल, 1990 को दिया गया था। यह केवल उस निर्णय के अनुसार है, प्रति शपथ पत्र में कहा गया है, सरकार ने 5 मार्च, 1987 के अपने पहले के कार्यालय ज्ञापन को संशोधित किया और 22 अगस्त, 1990 के आक्षेपित कार्यालय ज्ञापन को लागू किया।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्व-कर्मचारी संघ और अन्य बनाम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बॉम्बे और अन्य, (1993) 3 स्केल 424, में इस न्यायालय ने भारत पेट्रोलियम के लिपिक कर्मचारियों को *कॉमन कॉज़* (उपरोक्त) में निर्णय का लाभ दिया। वहाँ भी "सेवानिवृत्ति की अवधि से 15 साल की अवधि" शब्दों को "रूपांतरण की तारीख से 15 साल" के रूप में समझा जाता था।

सार्वजनिक उद्यमों और अन्य में अवशोषित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के कल्याण संघ बनाम भारत संघ और एक अन्य ए.आई.आर. (1996) एस.सी. 1201, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपनी याचिका में पेंशनभोगियों द्वारा मांगी गई राहत *कॉमन कॉज़* (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार पूरी तरह से रूपांतरण पेंशन के एक 1/3 की बहाली थी। तीन न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें हममें से एक (जे. वेंकटस्वामी) सदस्य थे, ने उपरोक्त मामलों में लागू सिद्धांतों को दोहराया। वास्तव में, जिस तारीख से 15 साल की पेंशन की गणना की जानी थी, वह वहां जारी नहीं थी।

यह न्यायालय राज्य की मनमाने ढंग से की गई कार्रवाई पर प्रहार करता है और तदनुसार उसने पेंशनभोगियों के शेष जीवन के लिए 1/3 पेंशन के समानीकरण के परिणामस्वरूप कम की गई पेंशन का भुगतान करने में सरकार की मनमाने ढंग से की गई कार्रवाई को रोकते हुए *कॉमन कॉज़* (उपरोक्त) में किया और उन पेंशनभोगियों को "सेवानिवृत्ति की अवधि से" 15 वर्षों के बाद पूर्ण पेंशन बहाल करने के लिए एक न्यायसंगत निर्देश जारी किया जिन्होंने पेंशन का 1/3 भाग का समानीकरण कराया था। ऊपर बताए गए कई कारकों को ध्यान में रखते हुए 15 साल की अवधि तय की गई है। यह एक सुस्थापित

सिद्धांत है कि न्यायालय के निर्णय में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या किसी विधि के शब्दों की भाँति नहीं की जा सकती। उक्त निर्देश द्वारा इस न्यायालय का कभी भी पेंशनभोगियों को कोई अनुचित और अनपेक्षित लाभ देने का इरादा नहीं था। इसने केवल पेंशन के हिस्से के रूपांतरण के परिणामस्वरूप पेंशन की कटौती के संबंध में सरकार के हाथों पेंशनभोगियों के साथ व्यवहार में निष्पक्षता सुनिश्चित की। *कॉमन कॉज* (उपरोक्त) में निर्णय को इस न्यायालय के बाद के सभी निर्णयों में रूपांतरण की तारीख से 15 साल के रूप में समझा गया है और हम इसके साथ सम्मानजनक सहमति में हैं। यह न तो किसी भी पक्ष के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह रखता है और न ही किसी भी पक्ष को कोई अनुचित और अनपेक्षित लाभ प्रदान करता है।

उपरोक्त चर्चा से यह पता चलता है कि आक्षेपित ज्ञापन में *कॉमन कॉज़* (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले के विपरीत कोई शर्त शामिल नहीं है। अतः उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को खारिज किया जाना उचित था। हम उच्च न्यायालय के आदेश में कोई अवैधता नहीं पाते हैं। अपील विफल हो जाती है और तदनुसार इसे बिना लागत के खारिज कर दिया जाता है।

अपील खारिज कर दी गई।

एसवीके.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।